प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 14.06.2024

□□POLICE CRACKDOWN□□

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद, दिनांक 14.06.2024

□थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त (स्नैचर) घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से भिन्न–भिन्न घटनाओं से संबंधित विभिन्न आभूषण बरामद व 800/–रु0 (लिंकरोड, इंदिरापुरम व कौशाम्बी लूट की घटना से संबंधित), 01 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 01 खोका कारतूस व घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल बरामद व दूसरा अभियुक्त फरार तथा दूसरा फरार अभियुक्त थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व घटना से संबंधित आभूषण बरामद ।□

□ आज दिनांक 14.06.2024 को थाना लिंकरोड क्षेत्रान्तर्गत थाना लिंकरोड़ व स्वॉट टीम ट्रांस हिंडन जोन पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक मोटर साइकिल पर दो संदिग्ध सवार आते हुए दिखाई दिये पुलिस टीम द्वारा जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम को लक्ष्य करके फायरिंग कर दी गयी। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी तो एक बदमाश घायल हो गया तथा दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। पुलिस टीम के द्वारा उसकी तलाश हेतु जगह-जगह चेकिंग लगाई गयी तथा अन्य आस-पास के थाने को इस सम्बन्ध में सूचना प्रसारित की गई। उसी क्रम में थाना साहिबाबाद के रेलवे रोड़ एरिया में एक पुलिस मुठभेड़ हुई। जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। पूछताछ में लिंकरोड में घायल बदमाश ने अपना नाम राजकुमार उर्फ राजू तथा थाना साहिबाबाद एरिया में भागा हुआ बदमाश जो कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ था उसने अपना नाम अजय बताया ये दोनों थाना लोनी बॉर्डर के सेवाधाम चौकी क्षेत्र के रहने वाले है। इनके पास से अवैध असलहा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, कुछ आभूषण बरामद हुए हैं। घायलों को चिकित्सा हेतु अस्पताल भेज दिया गया है तथा इन आभूषणों का विभिन्न घटनाओं से मिलान करवाया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त अजय उपरोक्त द्वारा बताया गया कि उसका एक साथी लिंकरोड थाना क्षेत्र में पकड़ा गया है। मैं अंधेरे का फायदा उठाकर भाग आया था। उसने बताया हम दोनों ने मिलकर लिंकरोड एवं साहिबाबाद व आसपास के कई थानों में कई स्नेचिंग की घटनाएं की है।

थाना लिंकरोड पर गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

राजकुमार उर्फ राजू पुत्र स्व0 मुकन्दी लाल निवासी- ताल विवियाना थाना अहमदगढ जिला बुलन्दशहर, हाल निवासी- मकान नं0 15 कृष्णा विहार सेवा धाम गली न0 1 थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 43 वर्ष।

थाना साहिबाबाद पर गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अजय पत्र हरीश्चन्द्र वर्मा निवासी- मकान नं0 15 कृष्णा विहार सेवा धाम गली न0 1 थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।

थाना लिंकरोड पर बरामदगी का विवरण

भिन्न–भिन्न घटना से संबंधित विभिन्न आभूषण बरामद व 800/–रु0 (लिंकरोड़, इंदिरापुरम व कौशाम्बी लूट की घटना से संबंधित), 01 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 01 खोका कारतूस व घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल बरामद।

थाना साहिबाबाद पर बरामदगी का विवरण

01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व घटना से संबंधित आभूषण बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम व स्वॉट टीम ट्रांस हिंडन जोन तथा थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान बरामद।

दिनांक 06.06.2024 को थाना मोदीनगर पर वादी श्री विनोद राठी पुत्र श्री जगवीर सिंह निवासी औरंगाबाद गदाना थाना मोदीनगर ने तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मेरे गोदाम से लोहे का सामान चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना मोदीनगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अनावरण व गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई। तत्पश्चात दिनांक 13.06.2024 की रात्रि में थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1. रोहित पुत्र अमर सिहं निवासी जगतपुरी बाल्मिकी बस्ती झुग्गी झोपडी थाना मोदीनगर गाजियाबाद 2. अरूण पुत्र छुट्टन निवासी जगतपुरी बाल्मिकी बस्ती झुग्गी झोपडी थाना मोदीनगर गाजियाबाद 3. शिवकुमार उर्फ सोनू पुत्र राजेश निवासी इन्द्रापुरी चौक थाना मोदीनगर गाजियाबाद को चोरी किये गये सामान सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ में अभियुक्त रोहित व अरूण ने बताया कि हम झुग्गी झोपड़ी रहते है। हमें रोज शराब, तम्बाकू पीने की आदत है, पैसों के लिए हमने मिलकर उक्त गोदाम में चोरी कर ली थी तथा चोरी का सामान हमने कबाड़ी

शिवकुमार उर्फ सोनू को बेच दिया था। जो सामान बेचने के लिए शेष था, हम उसे भी स्कूटर रिक्शा में भरकर बेचने जा रहे थे कि पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिए गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1-रोहित पुत्र अमर सिहं निवासी जगतपुरी बाल्मिकी बस्ती झुग्गी झोपडी थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र 21 वर्ष

2-अरूण पुत्र छुट्टन निवासी जगतपुरी बाल्मिकी बस्ती झुग्गी झोपडी थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र 20 वर्ष

3-शिवकुमार उर्फ सोनू पुत्र राजेश निवासी इन्द्रापुरी चौक थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र 45 वर्ष

बरामदगी का विवरण

एक पत्ती लोहा लम्बाई करीब ढाई फुट, एक गाटर प्लेट लोहा, एक मुडी नाल लोहा, एक पत्ती रंग हरा दो फुट, एक फ्लेन्ज लोहा और एक मशीन कवर लोहा रंग हरा, एक तिकोनी एंगल रंग हरा लोहा, दो मशीन कवर लोहा रंग हरा बरामद, तीन बैरिंग, 1100/- रुपये नगद व एक स्कूटर रिक्शा बरामद।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त चोरी की घटना के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना मोदीनगर पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा ज्वैलर्स की दुकान से चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पीली धातु की 10 चूड़ी, 01 कड़ा, 04 अगूँठी, 03 जोड़ी कानों के टॉप्स, 03 गले के हार, 01 पैन्डल व 8000/- रुपये बरामद।

दिनांक 30.05.2024 को थाना कौशाम्बी पर वादी श्री हिमांशु वर्मा पुत्र सन्त कुमार वर्मा निवासी फ्लैट न0 12 शान्ति प्लाजा सेक्टर 04 वैशाली गाजियाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर वादी की दुकान से सोने के आभुषण के पैकिट चोरी होने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। आज दिनांक 14.06.2024 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान ज्वैलर्स की दुकान से चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1. मोहित पुत्र श्री कृष्ण निवासी ग्राम शेरपुर थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर उम्र 24 वर्ष 2. सत्यम पुत्र स्व0 अशोक सरन उर्फ अशोक वर्मा निवासी आवास विकास 02 चावड़ मन्दिर के पास बुलन्दशहर वरुण अपार्टमैन्ट फ्लैट न0 L 203 गंगा नगर बुलन्दशहर उम्र 32 वर्ष को वैशाली कौशाम्बी से पीली धातु की 10 चूड़ी, 01 की कड़ा, 04 अगूँठी, 03 जोड़ी कानों के टॉप्स, 03 गले के हार व 01 पैन्डल व 8000/- रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त मोहित ने बताया कि अमित वर्मा पुत्र दीपक वर्मा हमारा दोस्त है। वह सन्त ज्वैलर्स की दुकान पर नौकरी करता था। अमित वर्मा ने मुझे बताया कि मेरी दोस्ती शिवम व सत्यम पुत्रगण स्व0 अशोक सरन उर्फ अशोक वर्मा हम तीनों ने मिलकर संत ज्वैलर्स से आभूषण चोरी की योजना बनाई। इसी साजिश के तहत दिनांक 29.05.2024 को हम सब गाड़ी को लेकर रात्रि में सन्त ज्वैलर्स सै0 4 वैशाली मे चारों लोग आए अमित वर्मा पर्स में सोने के गहने चोरी कर ले आया। जिसमें पीली धातु के विभिन्न आभूषण थे। जिन्हें लेकर हम छुपते छुपाते विभिन्न जगहों पर घुम रहे थे। योजना बनाकर दिनांक 06.06.2024 को अमित व शिवम ने अपने पूर्व के मुकदमों में जमानती तुड़वाकर बुलन्दशहर जेल में चले गये। उसके बाद हम दोनों बाकी बचे माल को बेचने दिल्ली जा रहे थे। तभी आप लोगो ने हमें पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. मोहित पुत्र श्री कृष्ण निवासी ग्राम शेरपुर थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर उम्र 24 वर्ष।
2. सत्यम पुत्र स्व0 अशोक सरन उर्फ अशोक वर्मा निवासी आवास विकास 02 चावड मन्दिर के पास बुलन्दशहर वरुण अपार्टमैन्ट फ्लैट न0 L 203 गंगा नगर बुलन्दशहर उम्र 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- पीली धातु की (10 चूड़ी, 01 कड़ा, 04 अगूँठी, 03 जोड़ी कानों के टॉप्स, 03 गले के हार, 01 पैन्डल) व 8000/-रुपये बरामद।
- एक रशीद फैडरल बैंक बुलन्दशहर फास्ट गोल्ड लोन लिखा।
- एक रसीद राज ज्वैलर्स 71 सर्राफा चौक भोपाल लिखा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम

सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सर्च एवं रैस्क्यू अभियान के अन्तर्गत ज्ञानखन्ड-01 में देह व्यापार का अनैतिक कार्य कराने वाले 02 संचालक व 02 ग्राहक आपत्तिजनक सामान सहित गिरफ्तार तथा मौके से 03 महिलाओं को रैस्क्यू किया गया है।

दिनांक 13.06.2024 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस को मुखबिर द्वारा प्लॉट न0 271 जी 3 ज्ञानखन्ड -1 में स्थित एक फ्लैट में महिलाओं को बहला-फुसलाकर देह व्यापार कराने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई थी। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा उक्त फ्लैट में महिलाओं को बहला-फुसलाकर देह व्यापार कराये जाने में सम्मलित 02 संचालक 1. गौरांगो मंडल उर्फ बादल पुत्र नारायण मंडल निवासी ग्राम भीगोल थाना हरीशचन्द्रपुर जिला मालदा कोलकाता पश्चिम बंगाल हाल निवासी पता म0न0 271 जी 3 ज्ञानखन्ड -1 इन्दिरापुरम उम्र 36 वर्ष 2. संचालक उत्तम प्रमाणिक पुत्र विश्वनाथ प्रमाणिक निवासी निवासी ग्राम भीगोल थाना हरीशचन्द्रपुर जिला मालदा कोलकाता पश्चिम बंगाल हाल निवासी पता म0न0 271 जी 3 ज्ञानखन्ड-1 इन्दिरापुरम उम्र 24 वर्ष व 02 ग्राहक 1. पीयूष जैन पुत्र सुधीर जैन निवासी म0न0 267 जी 2 ज्ञानखन्ड -1 इन्दिरापुरम उम्र 42 वर्ष 2. ग्राहक नासिर अली पुत्र अमीर अली

निवासी म0न0 267 जी 2 ज्ञानखन्ड -1 इन्दिरापुरम उम्र 30 वर्ष को मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

सर्च एवं रैस्क्यू अभियान के दौरान पकड़े गये पुरुषों व पीड़ित महिलाओं से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि उक्त फ्लैट गौरंगो मंडल उर्फ बादल, उत्तम प्रमाणिक व नितिन मल्होत्रा का है। जिसमें ये लोग गलत कार्य करा रहे थे। जिनके द्वारा ग्राहको से पैसा लिया जा रहा था। मौके से गिरफ्तार सचांलक गौरंगो मंडल उर्फ बादल व उत्तम प्रमाणिक से पूछताछ की गयी तो बताया की ज्यादा पैसे कमाने के लालच में हमने यह काम शुरु किया था। जिसमें 03 महिलाओं से जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था। जिनको रैस्क्यू किया गया है। इन महिलाओं को प्रकरण में पीड़ित / गवाह मानकर उन्हें उनके परिवारजनों के सुपुर्द किया गया ताकि उनका उचित रिहैबिटेशन हो सके।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. संचालक गौरांगो मंडल उर्फ बादल पुत्र नारायण मंडल निवासी ग्राम भीगोल थाना हरीशचन्द्रपुर जिला मालदा कोलकाता पश्चिम बंगाल हाल निवासी पता म0न0 271 जी 3 ज्ञानखन्ड 1 इन्दिरापुरम उम्र 36 वर्ष।
2. संचालक उत्तम प्रमाणिक पुत्र विश्वनाथ प्रमाणिक निवासी ग्राम भीगोल थाना हरीशचन्द्रपुर जिला मालदा कोलकाता पश्चिम बंगाल हाल निवासी पता म0न0 271 जी 3 ज्ञानखन्ड 1 इन्दिरापुरम उम्र 24 वर्ष।
3. ग्राहक पीयूष जैन पुत्र सुधीर जैन निवासी म0न0 267 जी 2 ज्ञानखन्ड 1 इन्दिरापुरम उम्र 42 वर्ष।
4. ग्राहक नासिर अली पुत्र अमीर अली निवासी म0न0 267 जी 2 ज्ञानखन्ड 1 इन्दिरापुरम उम्र 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- 01 स्कैनर
- अन्य आपत्तिजनक वस्तूएं

गिरफ्तारी/ सहयोग करने वाली पुलिस टीम

सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा गौकशी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध छुरी बरामद।

आज दिनांक 14.06.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र अशोक विहार से गौकशी के अभियोग में वांछित अभियुक्त समीर पुत्र मीलू अब्बासी निवासी बब्लू गार्डन निकट हनीफा मस्जिद

के पास थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को घटना में प्रयुक्त अवैध छुरी के साथ गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण/पूर्व में की गई कार्यवाही

अभियुक्त द्वारा कुछ दिनों पहले थाना लोनी क्षेत्र में अपने साथियों के साथ मिलकर गौकशी की घटना कारित की गई थी जिसमें दिनांक 04-06-2024 को थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 05.06.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के 02 साथी 1.शकील पुत्र रहीमुद्दीन निवासी सपना सिटी निठौरा रोड अशोक विहार कस्बा व थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष 2. छोटू उर्फ आस मौहम्मद पुत्र मुन्सब निवासी वेस्ट सिटी निठौरा रोड अशोक विहार कस्बा व थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष को तथा दिनांक 06.06.2024 को एक साथी फैय्याज पुत्र फरीद निवासी अमन गार्डन अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

समीर पुत्र मीलू अब्बासी निवासी बब्लू गार्डन निकट हनीफा मस्जिद के पास थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र 22 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण में थाना लोनी पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

गौकशी की घटना में प्रयुक्त एक अवैध छुरी बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम